

# कार्यालय: संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

वित्त विभाग (नियम खण्ड) की अधिसूचना सं. प.11 (7) वित्त नियम 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 19 एवं वित्त (नियम) विभाग के अधिसूचना क्रमांक: **F 14 (88) FD (Rules) 2008-I Date 31-12-2009** एवं नियम 14 वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक: **F 15 (1) FD / Rules / 2017 Date 30-10-2017, 09-12-2017** के अनुसार निम्नांकित कर्मचारियों के आशवासित केरियर प्रगति (ACP) के अन्तर्गत उन्नतिकरण का लाभ निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है ।

**संबंधित संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि :-**

- 1 कार्मिक राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के अन्तर्गत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहा है/नियम 14 वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक: **F 15(1)FD/Rules/ 2017 Date 30.10.2017 एवं 9.12.2017** में पे मैट्रिक्स लेवल न0 प्राप्त कर रहा है ।
- 2 उपरोक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नतिकरण के अन्तर्गत वेतन, ग्रेड वेतन, पे मैट्रिक्स लेवल का निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी ।
- 3 संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण आदेश की प्रविष्टि की जायेगी ।
- 4 संबंधित कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के बाद दो से अधिक सन्तान नहीं होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर अनुपालना सुनिश्चित करें ।
- 5 संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर कोई विभागीय जांच प्रस्तावित /लंबित नही हो, यह सुनिश्चित करें ।
- 6 पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों की सूचना इस कार्यालय को भिजवाते हुए इनका वेतन आदेश क्रमांक प.20(1)एफ.डी. गुप-2/92 (आर.पी.एस.सी. 89-11/96) दिनांक 04.12.96 के अनुसार किया जावे ।
- 7 कार्मिक के विरुद्ध वेतन से संबंधित किसी प्रकार की वसूली हो तो उसका समायोजन किया जावे ।
- 8 कार्मिकों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषजनक सेवा प्रमाण पत्र होने के आधार पर ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि का वा.का.मू. में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर वा.का.मू. (A.C.R) प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाकर तदनुसार सशोधन कर दिया जायेगा ।
- 9 अनुदानित कार्मिकों को एसीपी का नगद लाभ राज्य सरकार में कार्यग्रहण तिथि से देय होगा । दिनांक 30.06.2011 से पूर्व का नगद लाभ पूर्व अनुदानित संस्था से देय होगा ।
- 10 कार्मिक के विरुद्ध यदि कोई विभागीय जांच लम्बित या प्रक्रियाधीन है तो उक्त आदेश निष्प्रभावी (Non- Effective) होंगे ।

संलग्न सेवा पुस्तिका:- क्र0स0 .....से .....तक ।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/बीका/एसीपी/2020/

- 1 श्रीमान् निदेशक महोदय, माशि/प्राशि, राजस्थान, बीकानेर ।
- 2 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ ।
- 3 कोषाधिकारी कोष कार्यालय, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ ।
- 4 संबंधित सीबीईईओ कार्यालय..... ।
- 5 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक श्री..... ।
- 6 रक्षित पत्रावली ।

(धर्मन्द्र कुमार जोशी)

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,

बीकानेर संभाग बीकानेर

दिनांक : -06/07/2020

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,

बीकानेर संभाग बीकानेर

# कार्यालय: संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/बीका/एसीपी/2020/ 127-130

दिनांक : -06/07/2020

कार्यालय आदेश

क्र० स०	नाम कार्मिक सर्व श्री/श्रीमती/ सुश्री	पदनाम	पदस्थापन स्थान	नियमित नियुक्ति तिथी	कुल नियमित सेवा वर्ष	वर्तमान आहरित पे बैन्ड / ग्रेड पे/पे मेट्रिक्स लेवल न०	स्वीकृति दिनांक	एसीपी में स्वीकृत पे बैन्ड/ग्रेड पे/पे मेट्रिक्स लेवल न०
1	इन्द्राज सुथार	व.अ.	राउमावि, साबनियां, लूणकरनसर, बीकानेर	14.10.1992	27 वर्ष	एल-12	14.10.2019	एल-13
2	गणपति राम चौधरी	व.अ.	राउप्रावि, डूडीवाली, लूणकरनसर, बीकानेर	08.09.1992	27 वर्ष	एल-12	08.09.2019	एल-13
3	शिव प्रकाश छंगाणी	व.सहा.	राउमावि, सुजानदेसर, बीकानेर	03.04.2000	18 वर्ष	एल-08	03.04.2018	एल-09
4	शिव शंकर व्यास	व.अ.	रामावि शाला नं.5 ,उस्तो की बारी के बाहर बीकानेर	14.09.1991	27 वर्ष	एल-12	14.09.2018	एल-13

(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)  
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,  
बीकानेर संभाग, बीकानेर

0505/F4/20

051-F51